न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 599./2021

ऋषि यादव वगै0.....वादीगण ।

बनाम्

बिहार सरकार वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

22.05.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है। आज यह अभिलेख प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 07.12.2022 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) एवं दफां 151 सी0 पी0 सी0 पर आदेश हेतु नियत है। इस आवेदन में प्रतिवादी सं0 4 का कहना है कि विवादित एराजी के निश्वत वादी सं0 1 के पिता जगधारी यादव जो अन्य वादीगण द्वारा धारा 144 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत वाद सं0 **915/2016** दाखिल किया गया था जिसे विद्वान अनु0 दण्डाधिकारी,डुमरॉव द्वारा दिनांक– 04.08.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। वर्तमान वादपत्र के कंडिका– 10 में स्पष्टतः स्वीकृत तथ्य है कि विवादित एराजी के निश्वत तैयार हाल सर्वे खतियान की जानकारी वादीगण को अप्रैल 2016 में हुई है तथा वादीगण द्वारा तुलनात्मक नक्सा व प्रतिवेदन 2016 में ही तैयार करवा लिया गया था, परन्तु वर्तमान मुकदमा वादी द्वारा जानकारी के बाद भी निर्धारित समय सीमा के काफी बाद 2021 में दाखिल किया गया है। वादपत्र के कंडिका– 15 से ही यह स्पष्ट होता है कि इस वाद का वाद हेतुक अप्रैल माह 2016 में उत्पन्न हुआ था। वादीगण द्वारा 01.06.2016 को धारा 80 सी0 पी0 सी0 का नोटिस निर्गत किया गया था। वादपत्र के कंडिका– 10 में वादी द्वारा यह गलत बयान किया गया है कि पूर्व में प्राप्त किये गये खतियान की सच्ची प्रति कहीं गुम हो गई तथा दूसरी बार नया सर्वे खतियान की दूसरी सत्यापित प्रति दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया। वादीगण समय सीमा के प्रावधान से बचने के लिए ऐसा किया है। वादपत्र के कंडिका– 12 में समय सीमा से बचने हेतु यह बयान किया है कि प्रतिवादी अप्रैल 2016 या अगस्त 2021 के दूसरे सप्ताह के पहले विवादित एराजी के निश्वत वादी के दखल कब्जा में छेड़छाड़ नहीं किया गया था अतः वादी का वाद समय सीमा के प्रावधानों से बाधित है। अतः वादी द्वारा दाखिल वादपत्र को अस्वीकृत किया जाये।

लगातार

22.05.2023

वादीगण द्वारा दिनांक– 23.02.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दाखिल आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। वादीगण को परेशान करने की नियत से तथा मुकदमा के विचारण में विलम्ब करने की नियत से यह आवेदन दाखिल किया गया है। व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 में यह प्रावधान किया गया है कि सम्मन तामिला से 30 दिनों के अन्दर प्रतिवादी को अपना बयान तहरीरी दाखिल करना है तथा विशेष परिस्थिति में 90 दिनों का समय दिया जा सकेगा, परन्तु प्रतिवादी द्वारा अभी तक बयान तहरीरी नहीं दाखिल किया गया है। वादी का आवेदन आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के चारों नियमों में से किसी भी नियम से यह वाद प्रभावित नहीं होता है। वादपत्र के कंडिका–10 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मुदालेह फरीक औवल एवं दोयम के कर्मचारियों ने 2016 से पहले हाल सर्वे खतियान से छेड़छाड़ करने लगे तथा मुदईयान ने कारण–पृच्छा पर कर्मचारियों ने यह पहले पहल बताया कि हाल सर्वे खतियान अनावाद बिहार सरकार के नाम से बन गया है तथा वादीगण ने हाल सर्वे खतियान का नकल हासिल कर अमीन से तुलनात्मक नक्शा तैयार करवाया, परन्तु मुदईयान ने जो विवादित हाल सर्वे खतियान का जो बाजप्ता नकल हासिल किया था वह गायब हो गया। पुनः दूसरा नक्शा 2021 के दिसम्बर में हासिल किया, क्योंकि पुनः सरकार के कर्मचारी द्वारा अगस्त 2021 में फिर दूसरे सप्ताह में सैतकरारी में छेड़छाड़ करने लगे तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने लगे। वादी द्वारा दोवारा कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी0 पी0 सी0 के तहत प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को दिनांक– 28.09.2021 को भेजा गया। वादी ने यह वर्तमान मुकदमा घोषनात्मक अनुतोष के लिए दाखिल किया है। हक हकीयत के आधार पर वाद लाने का अधिकार अनुच्छेद–65 परिसीमा अधिनियम के तहत 12 वर्ष का होता है। प्रतिवादी द्वारा इस वाद के विचारण में विलम्ब लाने के उद्देश्य से यह आवेदन बिना आधार का दाखिल किया है अतः प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दाखिल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

लगातार
22.05.2023

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि वर्तमान में यह वाद अन्य प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु लम्बित है। वादी ने यह वाद विवादित जमीन पर अपना हकीयत घोषित करने तथा हाल सर्वे खतियान में दर्ज इन्द्राज को गलत घोषित करने हेतु लाया है। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा यह आवेदन दाखिल किया गया है कि वादीगण द्वारा दाखिल यह मुकदमा परिसीमा अधिनियम के तहत कालबाधित है, क्योंकि धारा 144 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत वादी द्वारा दाखिल मुकदमा दिनांक– 04.08.2016 के आदेश द्वारा अनु0 दण्डाधिकारी, डुमरॉव द्वारा खारिज किया गया था यह कहते हुये कि विवादित जमीन अभी बिहार सरकार की है जिस पर उभय पक्षों के द्वारा दावा किया जाना गलत है। जब तक नया सर्वे खतियान के विरूद्ध माननीय व्यवहार न्यायालय से अन्यथा आदेश पारित नहीं हो जाता है तब तक भूमि बिहार सरकार की है। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दाखिल इस आवेदन में मुख्यतः परिसीमा अधिनियम के तहत इस वाद का कालबाधित होना दर्शाया गया है। इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इस वाद में अंतिम रूप से वाद हेतुक अप्रैल 2016 में ही उत्पन्न हुआ था तथा यह वाद परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 एवं अनुच्छेद 113 के तहत कालबाधित है। दूसररी तरफ वादी का कहना है कि वादपत्र के कंडिका– 10 एवं 15 में वाद दाखिल करने में विलम्ब का कारण का वर्णन किया गया है। वादी द्वारा वादपत्र के कंडिका–15 में यह वर्णित किया गया है कि इस मुकदमा में प्रथम बार वाद हेतु अप्रैल 2016 में तथा पुनः अगस्त 2021 में उत्पन्न हुआ जब विवादित जमीन का छेड़छाड़ एवं धमकी दिया जाने लगा। यह विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि परिसीमा कानून के तहत वाद कालबाधित है, यह विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिस पर अंतिम रूप से निष्कर्ष इस वाद के विचारण के पश्चात ही लिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 07.12.2022 को खारिज किया जाता है।

वास्ते दिनांक– 5.7.23 को अन्य प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु

लेखापित

सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।